रजि0 नं0 एल.डब्लू./एन.पी. 561
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41
लाइसेन्स द पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, शुक्रवार, 6 जनवरी, 1989
पौष 16, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
चीनी उद्योग अनुभाग–2
———
संख्या 1589एस0सी0/18–6–71–88
लखनऊ, 6 जनवरी, 1989
———

अधिसूचना

सा0 प0 नि0–2

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) की धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 474/12–सी–1–87–7 (13)–76 टी0 सी0 दिनांक 31 मार्च, 1987 के अधीन यथा अपेक्षित प्राधिकारी द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, लखनऊ के कर्मचारियों की भर्ती उपलब्धियों और सेवा के निबंधनों और शर्तो जिसके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, विनियमावली को अनुमोदित करते हैं।

2––उपर्युक्त उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस विनियमावली को गजट में प्रकाशित किया जाय।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1988

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–––(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, कर्मचारी सेवानियमावली, 1988 कही जायेगी।

(2) यह संघ द्वारा नियुक्त प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी पर समान रूप से लागू होगी चाहे वे संघ के मुख्यालय पर या उसकी अपनी इकाई पर या किसी घटक फैक्ट्री पर, जिसे आगे परिभाषित किया गया है, तैनात हों, सिवाय उनके ––

(एक) जो औद्योगिक या श्रम विधियों और किसी ऐसी विधि के अनुसरन में बनाये गये नियमों, विनियमों, या स्थायी आदेशों के अधीन हों ;

(दो) जो राज्य सरकार से या स्थानीय निकाय से या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों। इस श्रेणी के कर्मचारी वर्ग अपने पैतृक विभाग या संगठन की सेवा नियमावलियों के साथ– साथ अपनी प्रतिनियुक्ति के निबंधनों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाऐं 2––जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस विनियमावली में :–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है ;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक से है ;

(ग) ''शिक्षु'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो शिक्षुता की संविदा के अनुसरण में मिल या संघ में शिक्षुता प्रशिक्षण ले रहा हो ;

(घ) ''प्राधिकारी'' का तात्पर्य आयुक्त एवं सचिव, चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से है ;

(ड) ''नैमित्तिक कर्मचारी'' का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त हो ;

(च) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य संघ के अध्यक्ष से है ;

(छ) ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य– ऐसी प्रबन्ध समिति या प्रशासक से है जिसे अधिनियम की धारा 29 के अधीन संघ के कार्यकलाप का प्रबन्ध सौंपा गया हो ;

(ज) ''निरन्तरसेवा'' का तात्पर्य संघ या मिल के अधीन अविरल सेवा से है, इसमें वह सेवा भी सम्मिलित है जो केवल बीमारी या प्राधिकृत छुट्टी या किसी दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण जो अवैध न हो या तालाबंदी या कामबंदी जो किसी कर्मचारी की किसी त्रुटि के कारण हो, विच्छिन्न हुई है ;

(झ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य संघ/या मिल/या आसवनियों और संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों में संघ द्वारा पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है इसके अन्तर्गत् प्रबन्धक या पर्यवेक्षक की हैसियत से पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियोजित व्यक्ति भी है किन्तु निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं हैं :–

(एक) नैमित्तिक कर्मचारी या संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ;

(दो) सरकारी सेवक और प्रतिनियुक्ति पर नियोजित अन्य व्यक्ति ;

(तीन) शिक्षुता या प्रशिक्षण की अवधि के दौरान यथास्थिति, शिक्षु और प्रशिक्षणार्थी ;

(चार) अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त और पुनर्नियोजित व्यक्ति।

(ञ) ''मिल'' का तात्पर्य संघ के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन सहकारी चीनी मिल और आसवनी इकाई से है ;

(ट) किसी कर्मचारी के ''परिवार'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(एक) (अ) किसी पुरूष कर्मचारी के सम्बन्ध में – उसकी पत्नी, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री या सौतेली पुत्री जो उस पर आश्रित हों, चाहे वे उसके साथ रहते हों या न रहते हों ;

(ब) किसी महिला कर्मचारी के सम्बन्ध में – उसका पति, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, या सौतेली पुत्री, जो उस पर आश्रित हों चाहे वे उसके साथ रहते हों या न रहते हों ;

(दो) कर्मचारी का ऐसा कोई रक्त सम्बन्धी जो कर्मचारी पर पूर्णता आश्रित हो किन्तु इसके अन्तर्गत, वैधतः पृथक पत्नी या पति या पुत्र, सौतेला पुत्र अविवाहित पुत्री या अविवाहित सौतेली पुत्री जो अब पुरूष या महिला कर्मचारी पर आश्रित नहीं है या विधि द्वारा जिसकी अभिरक्षा से कर्मचारी वंचित किया गया हो, सम्मिलित नहीं है।

(ठ) ''संघ'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, लखनऊ से है ;

(ड) ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक से है ;

(ढ़) ''अनियमित कर्मचारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संघ, मिल, या अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान या आसवनियों में नियमित अधिष्ठान में नियोजित न हो किन्तु जो निर्माण कार्य या विस्तार कार्य तरीखे पूर्ण रूप से अस्थायी प्रकृति के कार्यो के लिये नियोजित किये गये हों या जो स्थायी कार्य में अस्थायी वृद्धि के सम्बन्ध में नियोजित किये गये हों ;

(ण) ''वेतन'' का तात्पर्य उस धनराशि से है जो कर्मचारी निम्नलिखित रूप से आहरित करता है :––

(एक) पद के लिये स्वीकृत मूल वेतन ;

(दो) विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन ; और

(तीन) ऐसी अन्य परिलब्धियाँ जो वेतन के रूप में प्राधिकारी द्वारा वर्गीकृत की गयी हों। इसमें मंहगाई भत्ता, बोनस, यात्रा भत्ता या ऐसे अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं ;

(त) ''नियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 से है ;

(थ) ''पगार'' का तात्पर्य उन सभी परिलब्धियों से है जो अपने सेवायोजन की शर्तो और निबंधनों के अनुसार काम पर या छुट्टी पर रहते हुये कर्मचारी ने अर्जित किया हो और जिनका भुगतान उसे किया गया हो या नकद भुगतान किये जाने योग्य हो और इसके अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्तरिम सहायता भी सम्मिलित है, किन्तु इसमें बोनस, कमीशन और अन्य कोई भत्ते सम्मिलित नहीं हैं।

(द) ''चयन समिति'' का तात्पर्य विनियम 13 के अधीन गठित चयन समिति से है ;

(ध) ''अधिवर्षिता'' का तात्पर्य किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी आयु प्राप्त करने से है जैसी कि विनियम 21 में विनिर्दिष्ट है ;

(न) ''प्रशिक्षणार्थी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे भर्ती के समय उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये या उस निमित्ति अनुवर्ती आदेश द्वारा बढ़ायी गई अवधि के लिये प्रशिक्षण पर रखा गया हो।

(प) ''वर्ष'' का तात्पर्य पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले और आगामी 30 जून को समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष से है।

अध्याय––दो

भर्ती की सामान्य शर्ते

पदों का वर्गीकरण

3––(1) नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासन के प्रयोजन के लिये संघ के अधीन पदों का वर्गीकरण इस विनियमावली में, संलग्न अनुसूची के अनुसार किया जायेगा।

(2) प्राधिकारी आदेश द्वारा, उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट अनुसूची में समय–समय पर संशोधन कर सकते हैं।

राष्ट्रीयता

4––संघ के अधीन सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी––

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या ;

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांड़ा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न उसे देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय और इसके लिये नियत समय के भीतर संघ को उपलब्ध करा दिया जाय।

आयु

5–(1) संघ के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिये। प्रत्येक संवर्ग या पद के मामले में प्राधिकारी के निर्देशों, यदि कोई हों, के अधीन समय–समय पर नियुक्ति प्राधिकारी उच्चतर आयु सीमा निर्धारित करेंगे।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सुसंगत आदेशों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु में छूट दे सकते हैं।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले किसी पद पर अन्यथा पात्र कर्मचारी द्वारा आवेदन करने के मामले में उच्चतर आयु सीमा शिथिल कर सकते हैं।

(4) किसी व्यक्ति को अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अपनी आयु का प्रमाण नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।

(5) उप विनियम (4) के अधीन आयु का प्रमाण, हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र होगा। जहां किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जहां, उसके वश के बाहर ऐसे कारणों से यह संभव न हो कि वह ऐसा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सके तो उससे ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(6) कर्मचारी के जन्म का जो दिनांक उसके हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में अभिलिखित हैं या जहां कर्मचारी ने कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वहां सेवा में प्रवेश के समय उसकी सेवा पुस्तिका में अभिलिखित यथास्थिति जन्म का दिनांक या आयु उसका सही जन्म का दिनांक या आयु समझा जायेगा और ऐसे दिनांक या आयु में सुधार के लिये किसी भी परिस्थिति में कोई आवेदन–पत्र या प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आर्हतायें

6––प्राधिकारी द्वारा भर्ती की प्रक्रिया और स्त्रोत के संबंध में दिये गये निर्देशों के अधीन प्रबन्ध निदेशक किसी विशिष्ट पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य अर्हतायें और जहां आवश्यक हो अधिमानी अर्हतायें और विनिर्दिष्ट अनुभव निर्धारित करेगा।

चरित्र

7––सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह संघ की सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। उसकी सेवायें तब तक नियमित नहीं की जायेंगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार उसके चरित्र का सत्यापन न कर दिया जाये।

टिप्पणी :––राज्य सरकार या संघ सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या निकाय द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी नियमित निकाय द्वारा पदच्युत कोई व्यक्ति पात्र न होगा।

शारीरिक उप–युक्तता

8––किसी भी अभ्यर्थी को संघ की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य प्रच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

वैवाहिक प्रा–स्थिति

9––संघ के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा कोई अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित हों या जिसने किसी ऐसे पुरूष या स्त्री से विवाह किया है जिसके, पहले ही से कोई पत्नी या पति जीवित हों।

पदों का आर–क्षण

10––अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों के लिये पदों पर आरक्षण द्वारा राज्य सरकार समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय–तीन

भर्ती और नियुक्ति

पदो का सृजन

11––इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन पदों का सृजन, करने की शक्ति प्राधिकारी में निहित होगी। प्राधिकारी समय–समय पर संघ की सेवा में प्रत्येक समूह के पदों की संख्या अवधारित करेगा।

भर्ती का स्त्रोत

12––(1) संघ के अधीन समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' के पदों पर नियुक्तियाँ निम्न प्रकार से की जायेंगी ––

(क) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ख) विभागीय परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे प्रबन्ध निदेशक समय–समय पर अवधारित करें, कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ग) प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर सेवायोजन द्वारा ;

(घ) किसी अन्य स्त्रोत से जिसे प्राधिकारी अनुमोदित करें।

(2) समूह ''क'' के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

चयन समिति

13––(1) संघ के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये एक चयन समिति होगी।

(2) समूह ''क'', ''ख'' और ''ग'' के पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे ––

(क) प्रबन्ध निदेशक–	अध्यक्ष
(ख) प्राधिकारी द्वारा–	सदस्य
नाम निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ	

(3) समूह ''घ'' के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसे प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

चयन

14––इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ में पदों पर चयन के लिये प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर स्त्रोत और प्रक्रिया अवधारित की जायेगी। विनियम 13 के अधीन सम्यक् रूप से गठित चयन समिति प्राधिकारी द्वारा अवधारित स्त्रोत और प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगी और चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनकी योग्यता क्रम में रखकर एक नाम सूची (पैनल) बनायेगी और अपनी संस्तुतियों के साथ उसे नियुक्ति प्राधिकारी को देगी। नियुक्ति प्राधिकारी सूची का अनुमोदन करेगा और उसे नोटिस बोर्ड पर लगवा देगा। इस रीति से तैयार की गई कोई नाम सूची (पैनल) अपने अनुमोदन के दिनांक से एक वर्ष के लिये अस्तित्व में रहेगी।

सेवा का प्रारम्भ

15––इस विनियमावली के अधीन या अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कर्मचारी की सेवा उसी दिन से प्रारम्भ हुई समझी जायेगी, यदि वह प्रबन्ध निदेशक द्वारा बताये गये स्थान और समय पर पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करें और उस पद का कार्य–भार ग्रहण करे जिस पर उसकी नियुक्ति की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा अपरान्ह में कार्य–भार ग्रहण करने की स्थिति में उसकी सेवा अगले दिन से प्रारम्भ होगी :

परन्तु चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा अवधारित योग्यता क्रम के आधार पर होगी और सेवा का प्रारम्भ इस ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा।

परिवीक्षा

16––(1) प्रत्येक कर्मचारी आरम्भ में ऐसी अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा जैसी नियुक्ति प्राधिकारी उसके नियुक्ति–पत्र में विनिर्दिष्ट करें।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को बिना किसी नोटिस के सेवा से अभिमुक्त किया जा सकता है।

(3) नियुक्ति–पत्र में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर बढ़ायी जा सकती है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवामुक्त करना

17––(1) किसी पद पर सीधे भर्ती किया गया कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी समय, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशों के अधीन संघ की सेवा से सेवामुक्त किया जा सकता है।

(2) उच्च पद पर पदोन्नत किया गया कोई कर्मचारी जो परिवीक्षा पर हो, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने वास्तविक मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(3) समूह ''क'' और ''ख'' के पदों के संबंध में इस विनियम के अन्तर्गत आदेश प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होंगे।

स्थायीकरण

18–– परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर विनिर्दिष्ट अभिव्यक्त लिखित आदेश द्वारा स्थायी किया जा सकता है यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाये, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझे।

सेवायोजन का समाप्त होना

19––(1) विनियम 12 के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई कर्मचारी अपने द्वारा निष्पादित बन्ध–पत्र में अनुबद्ध अवधि में न तो अपनी सेवायें छोड़ेगा और न ही सेवा करना बन्द करेगा। उन मामलों में जहां बंधे–पत्र में अनुबद्ध अवधि समाप्त हो गयी हो या जहां कोई ऐसा बन्ध–पत्र निष्पादित न किया गया हो, वहां कर्मचारी अपनी सेवा को छोड़ने या सेवा करना बन्द करने के अभिप्राय की तीन माह की लिखित नोटिस देगा। नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को दी जायेगी। इस उप–विनियम के उपबन्धों का अतिक्रमण करने की दशा में कर्मचारी नोटिस की अवधि के लिये अपने वेतन के बराबर की धनराशि प्रतिकर के रूप में देने के लिये भागी होगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से ऐसे प्रतिकर का भुगतान अभिव्यक्त कर सकते हैं।

(2) (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी स्थायी कर्मचारी की सेवायें तीन माह की नोटिस या उसके स्थान पर वेतन देकर समाप्त कर सकते है।

(ख) अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें किसी भी समय एक माह की नोटिस या उसके स्थान पर वेतन देकर समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उप विनियम (2) में दी गयी किसी बात का कोई प्रभाव प्रबन्ध निदेशक के इस अधिकार पर नहीं पड़ेगा कि वह किसी कर्मचारी की सेवा बिना किसी नोटिस याउसके स्थान पर वेतन के समाप्त कर सकता है। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाये कि सेवा में बने रहने के लिये कर्मचारी स्थायी रूप से अशक्त या शिथिलांग हो गया है।

(4) (क) जिस कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो वह नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना अपनी सेवा न तो छोड़ेगा न सेवा करना बन्द करेगा और ऐसे कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई नोटिस या त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये।

(ख) किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही इस उप विनियम के प्रयोजन के लिये लम्बित समझी जायेगी यदि वह इस विनियमावली के विनियम 51 (3) के अधीन निलम्बित किया गया हो या उसे कारण बताओ नोटिस जारी की गयी हो कि अनुशासनिक कार्यवाही उसके विरूद्ध संस्थित क्यों न की जाये या विनियम 51 के अधीन उसको कोई आरोप–पत्र (चार्ट–शीट) जारी न किया गया हो और वह तब तक लम्बित समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित न कर दिया जाये।

स्पष्टीकरण 1––इस विनियम में प्रयुक्त शब्द ''माह'' की गणना अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार की जायेगी और उसका प्रारम्भ उस दिनांक के अगले दिन से होगा जिस दिनांक को, यथास्थिति, कर्मचारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस दी गयी हो।

स्पष्टीकरण 2––उप विनियम (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा दी गयी नोटिस तभी उचित समझी जायेगी जब वह नोटिस की अवधि से ड्यूटी पर रहे और कोई कर्मचारी उपार्जित किसी छुट्टी को, जिसका उसने उपभोग न किया हो, ऐसी नोटिस की अवधि के प्रति मुजरा कर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मचारी को अवमुक्त करने के लिए स्वतन्त्र है जो कि किसी नोटिस के या कम अवधि की नोटिस देकर त्याग–पत्र देता है।

त्याग–पत्र स्वीकार करना

20––कर्मचारी का त्याग–पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये। नियुक्ति प्राधिकारी त्याग–पत्र को अस्वीकार कर सकता है यदि ––

(क) कर्मचारी किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये जो कि अभी समाप्त न हुई हो, की सेवा करने के लिये बाध्य हो ; या

(ख) कर्मचारी संघ की किसी धनराशि का देनदार है या उसे कोई अन्य दायित्व पूरा करना है तो उस समय तक जब तक कि उक्त धनराशि अदा न कर दी जाये या दायित्व पूरा न कर दिया जाये ; या

(ग) अन्य पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे।

अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति

21––(1) कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु किसी कलेण्डर माह के प्रथम दिनांक से भिन्न किसी दिनांक को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी उस माह के अंतिम माह के अंतिम दिन को सेवा–निवृत्त होगा।

(2) यदि संघ के हित में ऐसा करना उचित हो कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात् किसी कर्मचारी को नियत अवधि के लिये संविदा पर सेवायोजित किया जाये तो ऐसा करने की प्रबन्ध निदेशक की यह शक्ति इस विनियम की किसी बात से प्रभावित हुई नहीं समझी जायेगी।

अध्याय––चार
सेवा अभिलेख, पदोन्नति और प्रतिवर्तन

सेवा अभिलेख

22––सेवा का अभिलेख ऐसे प्रारूप में रखा जायेगा और उसमें ऐसी सूचनायें होंगी जैसा कि प्रबन्ध निदेशक निर्दिष्ट करें।

पदोन्नति

23––पदोन्नति की नीति और संघ के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

प्रतिवर्तन

24––(1) एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नत किया गया कर्मचारी एक वर्ष के भीतर किसी भी समय बिना नोटिस के प्रतिवर्तित किया जा सकता है।

(2) उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये परिवीक्षाधीन या अन्यथा की गयी हो, तो इस प्रकार स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुये उसे किसी भी समय बिना नोटिस के प्रतिवर्तित किया जा सकता है।

अध्याय––पांच
वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

भर्ती के समय वेतन

25––(1) सीधे भर्ती किया गया कोई कर्मचारी पद पर लागू वेतन और भत्ते पायेगा परन्तु सुपात्र होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है।

(2) समय–समय पर यथा संशोधित फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड 2, भाग दो से चार में दिये गये सुसंगत सरकारी नियमों को दृष्टि में रखते हुये प्राधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा पदोन्नति या समान समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के मामले में वेतन–निर्धारण की रीति अवधारित करेगा।

प्रतिनियुक्ति पर और संविदा पर वेतननिर्धारण

26––(1) सरकारी सेवा या किसी अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वह होंगी जैसी संघ और उसके मूल विभाग के नियोजक के बीच तय की जाये।

(2) संविदा पर नियुक्त किये गये किसी कर्मचारी के मामले में, वेतन और सेवा शर्तो का निर्धारण संघ और कर्मचारी के बीच संविदा की शर्तो के अनुसार होगा।

वेतन कब प्रोद्–भूत होगा और देय होगा

27––इस विनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वेतन और भत्ता किसी कर्मचारी की सेवा के प्रारम्भ से प्रोद्भूत होगा और प्रत्येक मास के दौरान की गयी सेवा के संबंध में उक्त मास के अंतिम कार्य दिवस के अपरान्ह में देय होगा।

वेतन और भत्ते कब देय नहीं होंगे।

28––ऐसे किसी कर्मचारी को किसी मास के भाग के लिये वेतन और भत्ते देय नहीं होंगे जो छुट्टी की स्वीकृति के बिना अनुपस्थित पाया जाता है या जो उस मास के दौरान सम्यक् सूचना के बिना अपनी सेवा छोड़ता है और सेवा करना बन्द कर देता है, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी छुट्टी स्वीकृत न की जाये या सूचना का अधित्याग न किया जाये।

वेतन और भत्ते कब समाप्त हो जायेंगे।

29––किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाने पर वेतन और भत्ते प्रोद्भूत नहीं होंगे। सेवा से पदच्युत किसी कर्मचारी के मामले में वेतन और भत्ते उसकी पदच्युति के दिनांक से समाप्त हो जायेंगे। ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये, वेतन और भत्ते उसकी मृत्यु के दिनांक के अनुवर्ती दिनांक से समाप्त हो जायेंगे।

स्थानान्तरण के दौरान वेतन

30––जब किसी कर्मचारी को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाये तब वह पुराने पद का अपना भार सौंपने, और नये पद का भार ग्रहण करने के दिनांक के बीच ड्यूटी के किसी अन्तराल के दौरान इस परिवीक्षा के लिये सामान्य अनुभूत समय के अधीन रहते हुए पुराने पद का वेतन और भत्ता पायेगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि

31––(1) कोई कर्मचारी उस पद के, जिस पर उसकी नियुक्ति की गयी हो वेतनमान में वार्षिक वेतन–वृद्धि का हकदार होगा, बशर्ते उसकी वेतन वृद्धि किसी अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप या खराब काम करने के कारण या दक्षतारोक पार करने के प्रक्रम पर रोक न की गयी हो।

(2) शुगर वेजबोर्ड या किसी अन्य वेजबोर्ड के वेतनमानों द्वारा नियंत्रित कर्मचारियों के सिवाय समस्त कर्मचारियों को जिनकी वेतनवृद्धि किसी कलेण्डर मास के प्रथम दिनांक से भिन्न दिनांक को देय हो जाये, उस मास के जिसमें वेतन वृद्धि देय हो, प्रथम दिनांक को वेतन वृद्धियां दी जायेंगी।

(3) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में, जो असाधारण छुट्टी, अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य छुट्टी के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, वेतनवृद्धि का दिनांक तद्नुसार बदल जायेगा और ऐसी छुट्टी की अवधि को वेतनवृद्धि के प्रयोजनार्थ नहीं गिना जायेगा।

(4) ऐसा कोई कर्मचारी जो किसी उच्चतर पद पर उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो, उसके द्वारा उच्चतर पद या उच्चतर समय वेतनमान में कार्य करने की अवधि की उसे निम्नतर पद या समय वेतनमान में प्रतिवर्तित होने पर, वेतनवृद्धि के लिये गणना की जायेगी।

समयपूर्ण वेतन वृद्धि

32––अति उत्तम कार्य के लिये पुरस्कृत करने और निरन्तर अति उत्तम कार्य करने के लिये उसको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रबन्ध निदेशक किसी कर्मचारी को उसके समय वेतनमान में समय पूर्व या अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत कर सकता है।

33–– शुगर वेजबोर्ड या अन्य वेजबोर्डो द्वारा निहित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी ऐसे मंहगाई और अन्य भत्तों के हकदार होंगे जैसा ऐसे कर्मचारियों को उस वेजबोर्ड के अनुसार अनुमन्य हो।

स्थानान्तरण

34––(1) नियुक्ति प्राधिकारी की उत्तर प्रदेश में किसी सहकारी चीनी मिल, आसवनी इकाई या संघ के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिष्ठान में या भारत के किसी अन्य स्थान के कर्मचारियों की नियुक्तियां करने और इन्हें किसी एक सहकारी चीनी मिल, आसवनी इकाई या अधिष्ठान से दूसरे में स्थानान्तरित करने की भी शक्ति होगी।

(2) जब किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण या पदोन्नति किसी एक पद से किसी अन्य पद पर किया जाये जिसमें मुख्यालय का परिवर्तन भी अन्तप्रेरत हो, तब वह स्थानान्तरण पर कार्य ग्रहण करने का समय और स्थानान्तरण पर देय ऐसे भत्तों का हकदार होगा जैसा प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर इस विनियमावली के अधीन अवधारित किया जाये।

अध्याय–छः

आचरण और अनुशासन

35––जब तक कि नियुक्ति आदेश में स्पष्टतः अन्यथा उपबन्धित न हो––

(क) प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी संघ या सम्बद्ध मिल, आसवनी इकाई या संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के अधिकार में होगा और वह संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की सेवा ऐसी क्षमता, ऐसे घण्टों के दौरान और ऐसे स्थान पर करेगा जैसा कि उसे समय–समय पर निर्देशित किया जाये।

(ख) प्रत्येक कर्मचारी अधिनियम, नियमावलियों, विनियमावलियों और उपविधियों के उपबन्धों और प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करेगा।

(ग) प्रत्येक कर्मचारी इस विनियमावली का अनुसरण और पालन करेगा और समस्त आदेशों और निर्देशों को जो, ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता, अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन वह तत्समय रखा जाये, उसको दिये जायें, मानेगा ;

(घ) कोई कर्मचारी/समिति के कारबार के भेदों की और गोपनीय प्रकार की कारबार संबंधी सूचना को, जो उसके नियोजन के दौरान उसके कब्जे या जानकारी में आयी हों या उसके द्वारा संग्रहीत की गयी हों किसी व्यक्ति को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा :

परन्तु अपने ज्येष्ठ अधिकारी की अनुज्ञा से, वह केवल ऐसी सूचना संप्रेषित कर सकता है जैसी विवादों के निस्तारण या जांच, निरीक्षण, अन्वेषण या लेखा परीक्षा के संचालन के लिये किसी प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो या जहां ऐसी सूचना किसी विधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाये।

36––(1) प्रत्येक कर्मचारी संबंधित सहकारी समिति के हित का संवर्धन करने के लिये संघ, मिल, आसवनी इकाई और संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी––

(2) किसी क्षेत्र में मादक पेयों या औषधियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी––

(क) ड्यूटी के दौरान ऐसे मादक पेयों या औषधियों के प्रभाव में नहीं रहेगा ; या

(ख) मादकता या नशे की दशा में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जायेगा ; या

(ग) आदतन ऐसे पेयों या औषधियों का उपयोग नहीं करेगा।

(3) संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी––

(क) संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के परिसर में विच्छृंखल या अभद्र व्यवहार, द्यूत या पण में तल्लीन नहीं होगा और न ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे समिति के कारबार में बाधा पहुंचे या वह अस्तव्यस्त हो जाये।

(ख) संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की संघ या मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कार्य करने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति को जानबूझकर न तो क्षति पहुंचायेगा और न क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, या

(ग) कदाचार, कर्तव्यों के लोप या भंग के कार्य के लिये किसी कर्मचारी को न तो दुष्प्रेरित करेगा और न प्रोत्साहित करेगा, या

(घ) अपने प्रभार या देख–रेख में संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान से प्राप्त ऋणों या अग्रिमों का दुरूपयोग नहीं करेगा।

(4) संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान का कोई कर्मचारी किसी राजनीतिक प्रदर्शन में न तो भाग लेगा और न स्वयं उससे सहयोग करेगा और न प्रबन्ध कमेटी या सहकारी समिति या मिल के किसी अन्य कार्यालय के किसी निर्वाचन में पक्ष समर्थन करेगा और न अन्यथा अपने प्रभाव का उपयोग करेगा।

(5) कोई कर्मचारी संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के जिसका वह कर्मचारी है, कार्यकलाप के संबंध में प्रबन्ध निदेशक या संबंधित मिल के मुख्य कार्यपालक की पूर्व स्वीकृति के बिना, प्रेस को न तो कोई ब्यान देगा, न प्रेस या मैगजीन को कोई लेख देगा और न रेडियो पर कोई वार्ता देगा।

नियोजन पर निबन्धन

37––कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई बाहरी नियोजन या लाभ का पद न तो स्वीकार करेगा न उसके लिये याचना करेगा और न उसकी तलाश करेगा।

अग्रेत्तर अध्ययन के लिये अनुज्ञा

38––कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, अग्रेत्तर अध्ययन के लिए किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं लेगा। इस प्रकार अपेक्षित अनुज्ञा उपयुक्त मामलों में और केवल विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ही दी जायेगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाय कि कर्मचारी को ऐसी अनुज्ञा उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के प्रतिकूल नहीं होगी।

उपहार या अनु–तोष को स्वीकार करने पर रोक

39––कोई कर्मचारी किसी अधीनस्थ कर्मचारी से या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से जिसका संबंधित मिल या संघ से किसी प्रकार का व्यवहार हो किसी उपहार या अनुतोष के लिए न तो याचना करेगा और न ही उसे स्वीकार करेगा।

आर्थिक लाभों के लिये कार्यो का प्रतिषेध

40––कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना व्यक्तिगत् रूप से अपने लिए या अभिकर्ता के रूप में दूसरों के लिए कहीं भी आर्थिक लाभ का कोई अन्य कार्य नहीं करेगा।

ड्यूटी से अनुपस्थित रहना

41––(1) कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(2) ऐसा कोई कर्मचारी जो अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के सिवाय, जिसके लिये उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा, बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है या अपनी छुट्टी के उपरान्त रूकता है, तो वह ऐसी अनुपस्थिति या अधिक रूकने की अवधि के लिये वेतन और भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा और अग्रेत्तर उस पर ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी जैसी परिस्थितियों के अधीन उस पर आरोपित की जाये।

मुख्यालय छोड़ने के लिये अनुज्ञा

42––कोई कर्मचारी उस अधिकारी जिसके अधीक्षण और नियंत्रण में वह कार्य करता है, स्वीकृति प्राप्त किये बिना, ड्यूटी पर होने के सिवाय, अपनी तैनाती के मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं होगा।

समय पालन

43––प्रत्येक कर्मचारी समय से अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होगा और जब तक उसे छूट न दे दी जाये उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा जिसे नियंत्रक अधिकारी के समक्ष रखा जायेगा।

परिसम्पत्तियों को प्रकट करना

44––प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक एकान्तर वर्ष में सहकारी वर्ष के अन्तिम पक्ष में प्रबन्ध निदेशक को लिखित रूप में अपनी परिसम्पत्तियों को प्रकट करेगा।

बोली बोलने और नीलामी के लिये प्रतिषेध

45––कोई कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक के पूर्व अनुज्ञा के बिना संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की सम्पत्ति या उत्पाद की किसी नीलामी में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बोली नहीं बोलेगा।

उधार संव्यवहार पर रोक

46––कोई कर्मचारी अधिनियम, नियमों या संबंधित समिति की उपविधियों के अधीन अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय, अपनी समिति या किसी अन्य समिति से, किसी उधार संव्यवहार में न तो शामिल होगा ओर न उसे करेगा।

द्वि विवाह पर निबन्धन

47––ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी पत्नी या जिसका पति जीवित हो, दूसरा विवाह नहीं करेगा।

नैतिक पतन संबंधी कार्यो में अर्न्तग्रस्त होना

48––ऐसा कोई कर्मचारी जो आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक पतन संबंधी किसी आपराधिक आरोप के लिये सिद्धदोष किया गया हो, पदच्युति का भागी होगा।

स्पष्टीकरण :– ''दोषसिद्धि'' का तात्पर्य कारावास, जुर्माना या दोनों की सजा से है।

अन्यत्र नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र

49––(1) कोई कर्मचारी उचित माध्यम के सिवाय, अन्य नियुक्ति के लिये कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

(2) वाह्य नियोजन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) कोई कर्मचारी अधिछात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति आदि प्रदान करने के लिये कोई आवेदन पत्र संबंधित प्राधिकारी को सीधे प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि वह यथास्थिति संघ, मिल, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा समर्थित न हो या उसे ऐसी अधिछात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति लेने के लिये प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा न दी जाये।

अध्याय–सात
शास्ति और अनुशासनिक प्रक्रिया

शास्तियां

50––(1) किसी विनियम में निहित उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई कर्मचारी जो उसे सौंपी गई ड्यूटी का उल्लंघन करता है या जिसे किसी आपराधिक अपराध या अधिनियम की धारा–103 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया गया हो या ऐसा कोई कार्यकरता हो, जिसे इस विनियमावली द्वारा प्रतिविद्ध किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शास्तियों में से किसी एक द्वारा दण्डित किया जा सकेगा :––

(क) परिनिन्दा ;

(ख) वेतनवृद्धि या पदोन्नति का रोका जाना ;

(ग) कर्मचारी के आचरण द्वारा संघ, मिल, आसवनी इकाई या अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने के लिये वेतन या प्रति भूति जमा से वसूली ;

(घ) कर्मचारी द्वारा मौलिक रूप से धृत पद या श्रेणी (ग्रेड) में अवनति ;

(ड.) सेवा से हटाया जाना ; या

(च) सेवा से पदच्युति।

(2) दण्डादेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को निरभाव रूप से दी जायेगी और इस आशय की प्रविष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेख में की जायेगी।

(3) (क) आरोप–पत्र कर्मचारी की अपराध की गम्भीरता के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दण्ड दिया जायेगा परन्तु खण्ड (1) के उपखण्ड (घ), (ड.) और (च) के अधीन कोई व्यक्ति अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना आरोपित नहीं की जायेगी।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी वेतनवृद्धि रोकने के लिये आदेश पारित करते समय उस का लिखित रूप में उल्लेख करेगा जिसके लिये वह रोकी जाये और यह भी उल्लिखित करेगा कि क्या उसका प्रभाव भावी वेतनवृद्धि या पदोन्नति को स्थगित करना होगा।

अनुशासनिक कार्यवाही

51––(1) किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का सम्यक् अनुपालन करेगा ; जिसके लिये यह आवश्यक होगा कि––

(क) कर्मचारी को आरोप–पत्र तामील किया जायेगा जिसमें आरोप होंगे और प्रत्येक आरोप के समर्थन में साक्ष्य का उल्लेख होगा और उससे समुचित समय के भीतर आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी ;

(ख) ऐसे किसी कर्मचारी को अपने खर्च पर साक्षी पेश करने या अपने बचाव में साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिया जायेगा और यदि वह चाहे तो उसे व्यक्तिगत् सुनवाई करने का भी अवसर दिया जायेगा ;

(ग) यदि आरोप–पत्र के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त न हो या दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही किये बिना या अनुशासनिक कार्यवाही जारी रखे बिना समुचित दण्ड दे सकता है :––

(क) जहां किसी कर्मचारी को कदाचार के आधार पर, जिससे उसे अपराधिक आरोप पर दोष–सिद्ध किया गया है, सेवा से पदच्युत किया जाये या हटा दिया जाये ; या

(ख) जहां कोई कर्मचारी फरार हो गया है और उसका पता ठिकाना मिल, संघ, आसवनी इकाई या संघ के किसी अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान को तीन मास से अधिक समय तक ज्ञात न हो ; या

(ग) जहां कोई कर्मचारी पर्याप्त कारण बिना, जांच अधिकारी के समक्ष जब उसे विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित होने के लिये लिखित रूप में बुलाया जाये, उपस्थित होने से इनकार करता है या असफल रहता है ; या

(घ) जहां अन्यथा (कारण अभिलिखित किये जाये) उससे पत्र व्यवहार करना संभव न हो।

(3) किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया जा सकता है ;

(क) जब नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मामला हैं जिससे कर्मचारी को हटाये जाने पदच्युत किये जाने या पदावनत किये जाने की सम्भावना हो।

(ख) जब उसके आचरण की जांच किये जाने का तुरन्त विचार हो या जांच विचाराधीन हो और अग्रेत्तर उसका अपने पद पर बना रहना संघ या मिल या आसवनी इकाई या संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान के हित के प्रतिकूल समझा जाये ;

(ग) ऐसे कर्मचारी, जिसके संबंध में या जिसके विरूद्ध नैतिक अधमता का कोई आपराधिक आरोप या ऐसा आरोप जिससे उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो, से संबंधित अन्वेषण, जांच या विचारण विचाराधीन हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी, जिसके अधीन वह कार्यरत हो, के विवेकानुसार, उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के समाप्त होने तक निलम्बित रखा जा सकता है। पुलिस अन्वेषण या किसी विधि न्यायालय में लम्बित विचारण के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

4 (क) निलम्बनाधीन कोई कर्मचारी वेतन और उस पर देय मंहगाई भत्ता के आधे (1/2) के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा :

परन्तु जीवन–निर्वाह भत्ता का कोई भुगतान उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी ने प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर दिया हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाये कि कर्मचारी किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्तियां व्यवसाय में नहीं लगा था और निलम्बनाधीन अवधि के दौरान उसने पारिश्रमिक अर्जित नहीं किया है।

(ख) यदि संबंधित कर्मचारी की कोई त्रुटि न होने के कारण निलम्बन की अवधि छः मास से अधिक हो जाती है, तो जीवन–निर्वाह भत्ता उसके वेतन और मंहगाई भत्ते के 3/4 तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ग) (एक) जब कोई कर्मचारी बहाल किया जाये तब नियुक्ति प्राधिकारी निलम्बन की अवधि के लिये भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तों के संबंध में विशिष्ट आदेश देगा और यह भी आदेश देगा कि उक्त अवधि ड्यूटी पर व्यतीत की गयी अवधि मानी जायेगी या नहीं :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि कर्मचारी को पूर्णतया निर्दोष ठहराया गया है या उसका निलम्बन पूर्णतया अनुचित था, तो कर्मचारी को वह पूर्ण वेतन और भत्ता दिया जायेगा जिसका वह हकदार होता यदि वह निलम्बित न किया जाता।

(दो) उप–विनियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत् न आने वाले मामलों में कर्मचारी को वेतन और भत्ते का ऐसा भाग दिया जायेगा जैसा नियुक्ति प्राधिकारी आदेश दे।

(घ) निलम्बनाधीन कर्मचारी को कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा और उससे सम्बद्ध कार्यालय या अधिकारी की जहां उसे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाये, प्रतिदिन रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जायेगी।

अध्याय–आठ
अपील

अपील करने का अधिकार

52––किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, जिससे उसके हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा।

अपील प्राधिकारी

53––कोई अपील, उस दिनांक से जब कर्मचारी उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रति प्राप्त हो, 30 दिन की अवधि के भीतर वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

शर्ते जिनका समाधान अपील को करना चाहिये

54––(1) अपील अंग्रेजी या हिन्दी में लिखी जायेगी और अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी।

(2) अपील प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे यह समाधान होने पर कि अपीलार्थी के पास समय से अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है।

(3) अपील नम्र और आदरयुक्त भाषा में व्यक्त की जानी चाहिये।

(4) अपील में वांछित अनुतोष विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

अध्याय–नौ
वाह्य सेवा

अन्य सेवाओं में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति

55––(1) इस विनियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना जो प्रति नियुक्ति को प्रभावित करने वाली अवधि निबन्धन और शर्तो को अवधारित करेगा किसी अन्य नियोजन के अधीन सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता।

(2) जहां किसी कर्मचारी की सेवायें वाह्य नियोजक के अधिकार में रखी जाये वहां प्रतिनियुक्ति की एक शर्त यह होगी कि नियोजक को कर्मचारी की सेवाओं का समस्त व्यय वहन करना चाहिए जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होगा :

(क) कार्यभार ग्रहण करने की अवधि के दौरान का वेतन ;

(ख) कर्मचारी को देय यात्रा–भत्ता जिससे वह वाह्य नियोजक के अधीन अपनी नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने जा सके और अपनी प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर संघ की सेवा में अपनी तैनाती पर वापस आ सके ;

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अर्जित अवकाश।

(घ) संघ में कर्मचारी की भविष्य निधि के खाते में नियोजक का अंशदान इसके अतिरिक्त वाह्य नियोजक से भी उपदान में या किसी अन्य धनराशि में जिसके लिये कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे मानक्रम पर जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये, पात्र हो सके, अंशदान करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अध्याय–दस

कार्यभार ग्रहण करने का समय

कार्यभार ग्रहण करने का समय

56––(1) किसी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया जायेगा जिससे कि वह––

(क) पुराने पद पर रहते हुए नये पद का जिस पर नई नियुक्ति किया जाये, कार्यभार ग्रहण कर सके ;

(ख) चार मास से अनधिक अवधि के अवकाश से वापस लौटने पर नया पद ग्रहण कर सके, या अवकाश की अवधि चार मास से अधिक हो जाये और कर्मचारी को अपने नये पद पर नियुक्ति की पर्याप्त सूचना न मिली हो।

(2) जब किसी कर्मचारी के मुख्यालय में परिवर्तन अन्तर्ग्रस्त न हो तो उसे कार्यभार ग्रहण करने का समय नहीं दिया जायेगा।

कार्यभार ग्रहण करने के दौरान वेतन और भत्ता

57––कार्यभार ग्रहण करने के दौरान किसी कर्मचारी का वेतन और भत्ता विनियम–5 के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

अवधि जिसके लिये अनुमन्य हो

58––कार्यभार ग्रहण करने का समय जो किसी कर्मचारी को दिया जा सकता है सात दिन से अधिक नहीं होगा जिसके अन्तर्गत यात्रा पर व्यतीत किये गये दिनों की संख्या नहीं होगी।

किस प्रकार गणना की जायेगी

59––किसी कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के लिये अनुमन्य समय की गणना करने में वह दिन जब वह अपने पुराने पद से अवमुक्त किया जाये, निकाल दिया जायेगा किन्तु उस दिन के जब वह अमुक्त किया जाये, ठीक पश्चात् पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को कार्यभार ग्रहण करने के समय में सम्मिलित किया जायेगा।

कार्यभार ग्रहण करने के समय के पश्चात् रूकना

60––ऐसे किसी कर्मचारी के संबंध में जो कार्यभार ग्रहण करने के लिये अनुमन्य समय के भीतर अपने पद को ग्रहण नहीं करता, यह समझा जायेगा कि उसने विनियम 41 का उल्लंघन किया है।

अध्याय–ग्यारह

उपादान और भविष्य निधि

उपादान

61––जैसा यहां पर स्पष्ट रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, सेवा के सदस्य उपादान के मामले में समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड कर्मचारी उपादान विनियमावली, 1987 (उत्तर प्रदेश कोओपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फैडरेशन लिमिटेड इम्प्लाईज ग्रेच्युटी रेगुलेशन्स, 1987) के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

62––किसी कर्मचारी की निरन्तर सेवा की गणना करने में उसकी या तो संघ में या मिल में या आसवनियों में या संघ के अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों में निर्बाध रूप से की गयी सेवा को निरन्तर सेवा समझा जायेगा।

भविष्य निधि

63––प्रत्येक कर्मचारी समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि विनियमावली, 1982 (उत्तर प्रदेश कोओपरेटिव शुगर फैक्ट्री फैडरेशन इम्प्लाइज कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड रेगुलेशन्स, 1982) के उपबन्धों के अनुसार कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य हो जायेगा और उसमें अंशदान करेगा।

अध्याय–बारह

सेवा विनियमावली का निर्वचन

प्राधिकारी का निर्वचन अन्तिम होगा।

64––इस विनियमावली के निर्वचन के संबंध में प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

अनुसूची

(विनियम 3 देखिए)

संघ के अधीन पदों का वर्गीकरण

समूह ''क'' :– उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 1000 रूपये (अपुनरीक्षित) प्रतिमास हो ;

समूह ''ख'' :– उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 500 रूपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 1000 रूपये प्रतिमास से कम हो (अपुनरीक्षित)।

समूह ''ग'' :– उस वेतनमान वाले पद जिनका न्यूनतम 350 रूपये प्रतिमास या अधिक हो किन्तु 500 रूपये प्रतिमास से कम हो (अपुनरीक्षित)।

समूह ''घ'' :– उपर्युक्त वर्गीकरणों में से किसी के अन्तर्गत् न आने वाले पद।

आज्ञा से,
अखण्ड प्रताप सिंह,
सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
तथा
प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0,
लखनऊ।